संख्याःपीएलजी–एफसी(एफ)3–1/2017–18(राज्य योजना बोर्ड)
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला–2.

प्रेषित

1. समस्त प्रशासनिक सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
2. सभी उप–कुलपति, विश्वविद्यालय,
हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक शिमला–2 18th अप्रैल, 2017.

विषयः माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में राज्य योजना बोर्ड की दिनांक 6 फरवरी, 2017 को प्रातः 11 बजे हुई बैठक की कार्यवाही ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर मुझे माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में राज्य योजना बोर्ड की दिनांक 6 फरवरी, 2017 को प्रातः 11 बजे हुई बैठक की कार्यवाही संलग्न करने का निर्देश हुआ है । इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने विभाग से सम्बन्धित मद्दों के उपलक्ष्य में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें तथा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट योजना विभाग को भी भेजने की अनुकम्पा करें, ताकि उसे माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की सूचना एवं जानकारी हेतु प्रस्तुत किया जा सके ।

भवदीय,

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला–2.

पृष्ठांकन संख्या– यथोपरि– दिनांकः शिमला–2, 18th अप्रैल, 2017.

राज्य योजना बोर्ड की बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है :–

1. राज्य योजना बोर्ड के सभी गैर–सरकारी सदस्य ।
2. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
3. निजी सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2.
4. निजी सचिव, माननीय..... मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2.
5. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड, शिमला–2.
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2.
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2.
8. समस्त प्रभागाध्यक्ष, योजना विभाग, हि0प्र0, शिमला–2. उन्हें भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने प्रभाग से सम्बन्धित मद्दों पर वांछित कार्यवाही करें ।

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला–2.

हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड की 6 फरवरी, 2017 को माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में सचिवालय कॉन्फ्रेंस हाल में आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण।

(बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची परिशिष्ट 'ए' पर संलग्न है।)

1. हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड की बैठक दिनांक 6 फरवरी, 2017 को प्रातः 11 बजे हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हाल में माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में वर्ष 2017–18 की वार्षिक योजना को अनुमोदित करवाने के लिए आयोजित की गई।

2. सर्वप्रथम अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) डॉ. श्रीकान्त बाल्दी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं उपस्थित मन्त्रीमण्डल के माननीय सदस्यों तथा राज्य योजना बोर्ड के अन्य माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए सदन को अवगत करवाया कि आज की इस बैठक का आयोजन प्रस्तावित वार्षिक योजना 2017–18 पर विस्तृत चर्चा एवं नियोजन से सम्बन्धित मुद्दों पर माननीय सदस्यों के विचार एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष योजना आयोग के बन्द होने से वार्षिक योजना का दस्तावेज़ अब केन्द्र सरकार को नहीं भेजा जाता है। वार्षिक योजना तैयार करना राज्य का अपना निर्णय है। इसी क्रम में बैठक में वार्षिक योजना 2017–18 का प्रारूप राज्य योजना बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा गया है।

3. उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड, श्री गंगू राम मुसाफिर ने माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी उपस्थित माननीय मंत्रियों एवं अन्य गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत करते हुए सदन को अवगत करवाया कि राज्य योजना बोर्ड की बैठक का आयोजन प्रस्तावित वार्षिक योजना 2017–18 पर विस्तृत चर्चा तथा नियोजन से सम्बन्धित मुद्दों पर माननीय सदस्यों के

विचार एवं सुझाव प्राप्त करने के आश्य से किया गया है। उन्होंने बताया कि आज की इस बैठक में उजाकर सुझावों को वार्षिक योजना 2017–18 में सम्मिलित करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का मार्गदर्शन करने हेतु बैठक को सम्बोधित करने की कृपा करें।

4. माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक में भाग लेने आए सभी सदस्यों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा आश्वस्त किया कि वार्षिक योजना 2017–18 के परिव्ययों व कार्यक्रमों को सभी बुद्धिजीवियों से विचारविमर्श के पश्चात ही अन्तिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद भी राज्य सरकार प्रदेश के तीव्र, समग्र तथा सतत् विकास के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा तैयार किए गए चुनावी घोषणा–पत्र के सभी वायदों को पूर्ण करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजना प्रारूपण की प्रक्रिया को बन्द कर दिया गया है, फिर भी राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक योजना तैयार करने का निर्णय किया गया है। सरकार द्वारा वार्षिक योजना 2017–18 के आकार में चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में 500 करोड़ रूपये की वृद्धि की गई है।

5. वार्षिक योजना 2017–18 के लिए प्रस्तावित 5,700 करोड़ रूपये के परिव्ययों में से अनुसूचित जाति उप–योजना के लिए 1,436 करोड़ रूपये, जनजातीय उप–योजना के लिए 513 करोड़ रूपये तथा पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना के लिए 70 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है। सरकार ने सामाजिक सेवा शीर्ष को वर्ष 2017–18 में प्रथम प्राथमिकता प्रदान की है तथा इसके लिए 2,213 करोड़ रूपये आबंटित किए गए हैं। सरकार द्वारा दूसरी प्राथमिकता सड़क, परिवहन एवं संचार को दी गई है जिसके लिए 1,073 करोड़ रूपये का निवेश किया जाएगा। कृषि एवं संबद्ध सेवा क्षेत्र के लिए 714 करोड़ रूपये का निवेश किया जाएगा।

ऊर्जा का दोहन सरकार की विकास नीति का महत्वपूर्ण अंग है। इसके लिए 683 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।

6. सितम्बर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत् विकास हेतु कार्यसूची को अधिकृत किया है। इससे सभी राष्ट्रों के विकास के लिए वर्ष 2030 तक मापने योग्य लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। उन्होंने सदस्यों एवं अन्य प्रतिभागियों को बताया कि राज्य सरकार सतत् विकास हेतु पूरा प्रयास करेगी ताकि वर्ष 2022 तक सभी लक्ष्य न केवल प्राप्त किए जा सकें बल्कि 2030 की निर्धारित समय सीमा से पहले ही उनसे बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें। अगले 15 साल के लिए 17 लक्ष्य और 169 indicators तय किये हैं। राज्य सरकार विज़न दस्तावेज–2030 तैयार कर रही है, सात वर्षीय विकास नीति तथा तीन वर्षीय कार्य योजना भी इस दस्तावेज का हिस्सा रहेंगे। इसी के साथ माननीय मुख्य मंत्री ने राज्य योजना बोर्ड के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे चर्चा के दौरान प्रस्तावित योजना आकार, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, संसाधनों को जुटाने, मितव्ययता के उपाय सुझाने तथा बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए अपने बहुमूल्य एवं सकारात्मक सुझावों से सरकार को अवगत करवाएं।

7. इसके पश्चात अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) द्वारा राज्य योजना 2017–18 के मुख्य बिन्दुओं पर Power Point Presentation प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रदेश के विकास की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने वार्षिक योजना 2017–18 के मुख्य घटकों, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं तथा बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित परिव्ययों का भी ब्यौरा दिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) द्वारा राज्य सरकार के समक्ष आ रही वित्तीय तथा विकासात्मक चुनौतियों को भी राज्य योजना बोर्ड के सदस्यों के आगे रखा गया। उन्होंने बताया कि वैश्विक स्तर पर अब विकास का एजैंडा सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) को प्राप्त करना है। संयुक्त राष्ट्र ने सभी सदस्य देशों के लिए वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसके लिए 169 indicators तैयार किए गए हैं।

इस बार सतत विकास का उद्देश्य केवल पर्यावरण लक्ष्यों को प्राप्त करना ही नहीं है बल्कि एकीकृत विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक एवम् पर्यावरण लक्ष्यों की प्राप्ति है। नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा भी योजना प्रक्रिया के स्थान पर सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 15 वर्षों के लिए विज़न दस्तावेज तैयार करने की बात की गई है जिसके अन्तर्गत 2017–18 से 2023–24 के लिए सात वर्षीय रणनीति तथा 2017–18 से 2019–20 के लिए तीन वर्षीय कार्य योजना भी तैयार की जाएगी।

8. अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) ने यह भी बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 से योजना तथा गैर योजना की distinction को खत्म कर दिया गया है। 2017–18 के केन्द्रीय बजट में अब केवल राजस्व तथा पूँजीगत परिव्ययों का ही विवरण दिखाया गया है। परन्तु प्रदेश में विकास प्रक्रिया को जारी रखने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है जिसका आकार 5700 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो कि पिछली वार्षिक योजना से 500 करोड़ रुपये अधिक है।

9. श्री जगजीवन पाल, गैर सरकारी सदस्य ने बताया कि जंगली जानवरों की वजह से किसानों ने फसलें बोना बंद कर दी हैं जिससे प्रदेश को आर्थिक हानि हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब के साथ जुड़े क्षेत्रों में पी.एन.डी.टी.(जन्म से पूर्व लिंग परीक्षण) टैस्ट करवाने के सम्बन्ध में जांच होनी चाहिए। इस मुद्दे पर माननीय स्वास्थ्य मन्त्री श्री कौलसिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पायलट परियोजना के तहत तीन ज़िलों ऊना, कांगड़ा और हमीरपुर को चुना गया है। इन जिलों में सभी अल्ट्रासाऊंड मशीनों को ऑनलाईन किये जाने का प्रावधान है, जिसकी सूचना सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास रहेगी। इन जिलों में निजी कलीनिकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। निरीक्षण के दौरान एक डाक्टर को लिंग जाँच करने पर पी.एन.डी.टी.एक्ट के तहत दोषी पाया गया और एक्ट के तहत जुर्माना भी किया गया है।

10. श्री प्रेम शर्मा, गैर सरकारी सदस्य ने मामला उठाया कि जिस प्रकार वन विभाग तथा वन विकास निगम पर्यटन की गतिविधियों के लिए प्रदेश में भूमि लीज पर दे रहा है, उसी तर्ज पर प्रदेश में वन भूमि पर चल रहे ढाबों, राफटिंग इत्यादि गतिविधियों के लिए भी वन विभाग द्वारा भूमि लीज पर दी जा सकती है। इससे सरकारी राजस्व में बढ़ौतरी होगी, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा ऐसे ढाबा मालिकों को भी स्थाई कारोबार स्थापित करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सरकारी व निजी भूमि पर वन कटान पर पूरी तरह से रोक लगी है। उन्होंने निजी भूमि पर वन कटान पर लगी रोक को हटाने के लिए सरकार से अनुरोध किया कि इस मामले को सरकार को न्यायालय में उठाना चाहिए। निजी भूमि पर कटान के लिए उन्होंने फीस लगाने का सुझाव दिया ताकि इससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सके एवम् लोगों को भी इससे लाभ पहुंच सके। उन्होंने यह भी मामला उठाया कि पशुपालन विभाग द्वारा कुत्तों को छोड़कर अन्य सभी जानवरों को एंटी रेबिज़ टीके मुफ्त दिये जाते हैं जबकि रेबिज़ की बीमारी फैलाने में कुत्तों का योगदान सबसे अधिक है। उन्होंने कुत्तों के लिए एंटी रेबिज़ टीके मुफ्त वितरित करने का सुझाव दिया।

11. श्री एच0सी0 शर्मा, उप कुलपति औद्यानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय नौणी ने कहा कि आर्थिक एवम् पर्यावरण की दृष्टि से प्रदेश में वानिकी क्षेत्र के समुचित विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेश में जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देने, पॉली हाऊस कल्चर अपनाने तथा को–ऑपरेटिव तथा कॅट्रैक्ट फार्मिंग को प्रोत्साहित करने हेतु सुझाव दिया।

12. श्री डी.के. शर्मा, गैर सरकारी सदस्य ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना एवं वित्त) द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण की सराहना की। उन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विविधिकरण पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रस्तुत आँकड़ों में टरशरी सैक्टर का योगदान 45 प्रतिशत दर्शाया गया है। यह आँकड़े सही तस्वीर नहीं दर्शाते हैं क्योंकि इसमें सरकारी तंत्र पर किया गया व्यय भी शामिल है। अतः प्रदेश में टरशरी सैक्टर के विकास पर विशेष ध्यान देने

की आवश्यकता है ताकि इस दर्शाई गई भागीदारिता को स्थिर बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर की तुलना में अधिक है जिसका प्रदेश को नुकसान भी है और फायदा भी है। इस उच्च प्रति व्यक्ति आय के कारण 14वें वित्तायोग द्वारा प्रदेश के लिए केन्द्रीय कर राजस्व में से आंकी गई भागीदारी कम रही। परन्तु इसका सकारात्मक पहलू प्रदेश के बेहतर कर आधार तथा बेहतर कर–सकल घरेलू उत्पाद अनुपात (Tax GDP ratio) को दर्शाता है जिसे अभी अधिकृत करने (capture) की जरूरत है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार द्वारा एक अध्ययन करवाया जाए जिससे यह पता चल सके कि प्रति व्यक्ति आय में से कितना भाग उपभोक्ता व्यय का है।

13. श्री डी0के0 शर्मा, ने प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में फार्म क्षेत्र के योगदान पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में फार्म सैक्टर की अधिकांश आय फलोत्पादन तथा सब्जी उत्पादन से प्राप्त हो रही है जबकि प्रदेश के कुल पैदावार क्षेत्र में से केवल 10 प्रतिशत भाग पर ही सब्जी उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।

14. मेजर विजय सिंह मनकोटिया, गैर सकरारी सदस्य द्वारा शिमला शहर हेतु पेयजल योजना से सम्बन्धित उठाये गये मुद्दे के उत्तर में अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) ने बताया कि शिमला शहर हेतु 600 करोड़ रुपये की पेयजल योजना की स्वीकृति विश्व बैंक द्वारा प्रदान कर दी गई है। श्री मनकोटिया ने सरकारी क्षेत्र में राजस्व खर्च के बढ़ते बोझ को कम करने के लिये भी सुझाव दिया तथा कहा कि इसके लिए आवश्यक है प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में अधिक निवेश किया जाए तथा नई औद्योगिक इकाईयां सीमावर्ती क्षेत्रों की जगह प्रदेश के अन्य भागों में स्थापित की जाएं।

15. श्री विनोद सुल्तानपुरी, गैर सरकारी सदस्य ने प्रदेश के बांधों में आ रही सिल्ट (रेत) को प्रदेश में भवन निर्माण हेतु प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी मांग की कि मैटलिंग के उपरान्त किसी भी रोड को टेलिफोन की तार इत्यादि को बिछाने हेतु

खोदने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने सोलन जिला के सुबाथू का उदाहरण देते हुए बताया कि यहां पर अधिकतर सड़कें डंगों पर बनाई गई हैं तथा दूरसंचार विभाग द्वारा तारों को बिछाने हेतु जब सड़कों को खोदा जाता है तो इन सड़कों को काफी नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रदेश में टैक्सी परमिट पर लगे बैन को हटाने का भी अनुरोध किया।

16. श्री ध्यान चंद, गैर सरकारी सदस्य ने मामला उठाया कि प्रदेश में कुछ व्यवसायियों द्वारा रियल एस्टेट हेतु भूमि खरीदी गई है परन्तु वे अब इस भूमि पर काम नहीं कर रहे हैं। उनके क्षेत्र में बहुत से लोगों ने ऐसे व्यवसायियों के पास बुकिंग करवा रखी है, परन्तु उन्हें समय पर फलैट नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे व्यवसायियों को नियमानुसार तुरंत निर्माण कार्य आरंभ करने हेतु दबाव डाला जाना चाहिए ताकि जिन लोगों ने फलैट बुक कर रखे हैं उन्हें समय पर फलैट मिल सकें। उन्होंने मामला उठाया कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या निरंतर कम हो रही है। उन्होंने शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने हेतु अंग्रेजी विषय को प्रथम कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया ताकि प्राईवेट स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों के बच्चे अंग्रेजी कमजोर होने की वजह से प्रतिस्पर्धा में पिछड़े न रहें । उन्होंने सरकारी स्कूलों में प्राईवेट स्कूलों की तर्ज पर स्मार्ट कलासिज़ शुरू करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि उनके पास ''हैप्पी स्कूल'' बनाने की योजना है जिसमें ढाई लाख रुपये प्रदान किये जाते हैं। सरकार यदि अनुमति दे तो उनकी संस्था हिमाचल में ''हैप्पी स्कूल'' बना सकती है।

17. श्री राम लाल ठाकुर, माननीय अध्यक्ष, योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय सदस्य ने मामला उठाया कि कोठीपुरा, बिलासपुर में सरकारी भूमि पर खैर के पेड़ हैं जिन्हें अवैध रूप से काटा जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारी जमीन पर खैर के पेड़ों की नीलामी होनी चाहिए ताकि सरकार को राजस्व प्राप्त हो सके।

18. बैठक के अन्त में हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड ने वर्ष 2017–18 की 5700 करोड़ रुपये की योजना को अनुमोदित किया।

19. बैठक का समापन करते हुए सलाहकार (योजना) ने माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीमण्डल के माननीय सदस्यों, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड के अन्य सदस्यों तथा प्रशासनिक सचिवों का बैठक में भाग लेने तथा बैठक में सार्थक चर्चा एवम् सुझाव देने के लिए धन्यवाद किया।

*****

List of Participants

Annexure-'A'

Sr. No.	Name of the Participant	Designation
1.	**2.**	**3.**
1.	Smt. Vidya Stokes	Hon'ble Irrigation & Public Health Minister
2.	Shri Kaul Singh Thakur	Hon,ble Health & Family Welfare Minister
3.	Dr.(Col) Dhani Ram Shandil	Hon'ble Social Justice & Empowerment Minister
4.	Shri Gangu Ram Musafir	Hon'ble Deputy Chairman, H.P. State Planning Board
5.	Shri. Vijay Singh Mankotia	Hon'ble Vice Chairman HP Tourism Dev. Board
6.	Shri Ram Lal Thakur	Hon'ble Chairman, State Level Planning, Development and Twenty Point programme Review Committee.
7.	Shri Vinay Kumar	Hon'ble Chief Parliamentary Secretary, Public Works (Attached with Chief Minister)
8.	Shri Jagjivan Pal	Hon'ble Chief Parliamentary Secretary, Irrigation & Public Health (Attached with Irrigation & Public Health Minister)
9.	Shri Nand Lal	Hon'ble Chief Parliamentary Secretary, Health (Attached with Health & Family Welfare Minister)
10.	Shri I.D Lakhanpal	Hon'ble Chief Parliamentary Secretary, Rural Development &PR (Attached with PR Minister)
11.	Shri Mansa Ram	Hon'ble Chief Parliamentary Secretary, Tourism (Attached with Chief Minister) and Social Justice & Empowerment (Attached with Social Justice & Empowerment Minister)
12.	Shri S.K. Bhardwaj	Non-official Member
13.	Shri Vinod Sultanpuri	Non-official Member
14.	Shri Tek Chand Dogra	Non-official Member
15.	Sh. Dhian Chand	Non-official Member
16.	Shri D.K. Sharma	Non-official Member
17.	Dr. Jagmohan Singh	Non-official Member
18.	Shri Kuldeep Pathania	Non-official Member
19.	Sh. Prem Sharma	Non-official Member
20.	Dr. H.C. Sharma	Vice Chancellor, YS Parmar Hort. University Nauni, Solan
21.	Sh. K.T. Bodh	Comptroller, YS Parmar Hort. University Nauni, Solan.
22.	Prof. R.S. Chauhan	Pro. Vice- Chancellor , H.P. University

23.	Dr. Vinod Kumar Kapoor	Prof. NIT, Hamirpur, H.P.
24.	Sh. Kuldeep Chand	AGM, NABARD, Shimla
25.	Dr. B.C. Chauhan	Central University , Dharamshala
26.	Sh. Sanjay Gupta	Pr. Secretary (Tpt.& TE) to the Government of Himachal Pradesh.
27.	Sh. Jagdish Chander	Pr. Secretary (Hort., E&T) to the Government of Himachal Pradesh.
28.	Sh. Mohan Chauhan	Secretary SAD/GAD to the Govt. of H.P.
29.	Sh. Rohit Jamwal	Special Secretary(Home) to the Government of Himachal Pradesh.
30.	Dr. Sushil Kapta	Special Secretary (Environment & Health) Government of Himachal Pradesh.
31.	Sh. Amarjeet Singh	Special Secretary (MPP & Power, Personnel) to the Government of Himachal Pradesh.
32.	Sh. D.D. Sharma	Special Secretary (Fin.) to the Government of Himachal Pradesh.
33.	Sh. H.R. Chauhan	Special Secretary, PWD & IPH to the GoHP
34.	Sh. Shamsher Negi	Pr. Chief Conservator of Forests,H.P. Shimla-1.
35.	Sh. Rakesh Sharma	Director, Youth Services & Sport, H.P Shimla-2.
36.	Sh. A.K. Kohle	Engineer-in- Chief (PWD), HP Shimla-2.
37.	Sh. Anil Kumar Bahri	Engineer-in- Chief (IPH), HP Shimla-1.
38.	Sh. Deva Singh Negi	Director, Land Record, HP Shimla-9
39.	Dr. B.L. Vilta	Director, Higher Education, HP Shimla-1.
40.	Sh. R.C. Bakshi	Director, Prosecution Department,HP Shimla-9.
41.	Dr. R.K. Anand	Director , Animal Husbandry,H.P. Shimla-5
42.	Sh. Pradeep Chauhan	Adviser, Economics & Statistics,H.P. Shimla-9.
43.	Sh. Rajesh Sharma	Director, Industries Department, H.P. Shimla-1
44.	Dr. Baldev Kumar	Director Health Services,H.P. AShimla-9
45.	Ms Archana Sharma	Director, Env. Science & Technology, H.P.
46.	Sh. A. C. Sharma	Additional Pr. Chief Conservator of Forests (Finance),Shimla-1.
47.	Sh. K.S. Dhaulta	Joint Secretary, Cooperation to the GoHP.
48.	Sh, Dinesh Kumar Sharma	Joint Secretary, Industries,to the GoHP.
49.	Sh. Sat Pal Dhiman	Joint Secretary, Forest ,to the GoHP.
50.	Sh. Sachin Kamal,	Joint Secretary ,Rural Development, GoHP.
51.	Smt. Chhavi Nanta	Deputy Secretary, Social Justice Empowerment, I&PH,GoHP.
52.	Sh. Ranjeet Singh	Deputy Secretary, Animal Husbandry, GoHP
53.	Sh. Parveen Kumar Taak	Deputy Secretary, Revenue, GoHP
54.	Sh. K.S. Thakur	Chief Conservator of Forests(Finance),Shimla-1.
55.	Sh. D.D. Sharma	ACF IT Department, Shimla-9.
56.	Smt. Mala Luxmi Rana	Under Secretary ,Excise& Taxation to the GoHP.

57.	Sh. Bhajan Singh	Joint Director, Elementary Education,Shimla-1.
58.	Sh. Ashok Chauhan	Joint Controller(F&A) Elementary Education,Shimla-1.
59.	Sh. Ramesh Malta	Joint Registrar,Cooperative Societies,Shimla-9.
60.	Er. Raj Kumar Singh	National Information Centre,H.P. Shimla-2.
61.	Sh. Kailash Chand Gaur	Joint Director Food & Civil Supplies, Shimla-9**.**
62.	Sh. Robin George	Joint Director, SC, OBC,& Minority Affairs,Shimla-9.
63.	Sh. L.C. Chauhan	Joint Director, SC, OBC,& Minority Affairs,Shimla-9.
64.	Sh. Jagdish Thakur	Deputy Director, Tribal Development, Deptt,Shimla-2.
65.	Sh. Manohar Lal	Deputy Director, SC, OBC,& Minority Affairs,Shimla-9.
66.	Sh. Sundeep Sharma	State Town Planner,H.P. Shimla-9.
67.	Sh. S.K. Bhardwaj	Deputy Controller (F&A),Food &Civil Supplies, Shimla-9.
	Sh. Sandeep Sharma	Resident Officer, PHDCCI
68.	Sh. Balvir Kumar	Assistant controller, (F&A) Women & Child Development Department, H.P. Shimla-1.
69.	Sh. Dalip Negi	Additional Director, Women & Child Development Department, H.P. Shimla-9.
70.	Sh. Vinay Singh	Additional Commissioner, Transport, Shimla-3.
71	Dr. Mahesh Jaswal	O/o Directorate of Health Deptt. Shimla-9.
Planning Department		
1.	Dr. Shrikant Baldi	Additional Chief Secretary (Planning)
2.	Shri Akshay Sood	Adviser (Planning)
3.	Shri Basu Sood	Joint Director (Planning)
4.	Shri. Surinder Paul	Deputy Director (Planning)
5.	Dr. Neeta Gautam	Deputy Director (planning)
6.	Smt. Kamla Verma	Deputy Director (Planning)
7.	Sh. Ravi Chander Negi	Research Officer (Planning).
8.	Sh. Desh Raj,	Research Officer, (Planning)
9.	Sh. Naresh Kumar Sharma	Research Officer, (Planning)
10.	Sh. Maya Ram Negi	Research Officer, (Planning
11.	Sh. Sanjeev Sood	Research Officer, (Planning
12.	Sh. Harkrishan Singh	Research Officer, (Planning)
13.	Sh. Suresh Kumar	Research Officer, (Planning)
14.	Smt. Rajni Gupta	Research Officer, (Planning)
15.	Sh. Tilak Raj Thakur	Programmer (Planning)
16.	Sh. Diwan Chand	Superintendant Grade-I, Planning Department
17.	Sh. Jaisi Ram	Programme Planning Officer (Planning)